



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA  
फार्म-6 (FORM-6)

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 का नियम 13(1) और 26 देखिए]  
(See Rules 13(1) and 26) of Registration of Electors Rule-1960



उत्तराखण्ड सरकार

अभिस्वीकृति संख्या.....  
Acknowledgement No. ....

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा) (To be filled by office)

पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन-क्षेत्र से किसी अन्य एक निर्वाचन-क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन

**Application for Inclusion of Name in Electoral Roll for First time Voter OR on Shifting from One Constituency to Another Constituency.**

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ..... सभा निर्वाचन क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।	पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 CM X 3.5 CM) चिपकाने के लिए स्थान SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX
To, The Electoral Registration Officer, ..... Assembly / Parliamentary Constituency	

मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे नाम को पूर्वोक्त सभी क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाय। (समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगायें)  
I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency. (Tick appropriate box)

पहली बार के मतदाता के रूप में  या अन्य सभा क्षेत्र से स्थानान्तरण के कारण  निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं—

As a first time voter  or due to shifting from another constituency

Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:-

अनिवार्य विशिष्टियां Mandatory Particulars		
(क) नाम (a) Name (InCapital Letter)		आवेदक तथा सम्बन्धी का नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से लिखा जाय। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना भी अनिवार्य है।
(ख) उपनाम(यदि कोई हो) (b) Surname(if any)		
(ग) आवेदक के नातेदार का नाम और उपनाम (देखें मद (घ)) (c) Name and surname of Relative of Applicant [see item (d)]		
(घ) नातेदारी की किस्म (समुचित बाक्स पर सही का निशान लगायें) (d) Type of Relation (Tick appropriate box)	पिता <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पति <input type="checkbox"/> पत्नी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Husband <input type="checkbox"/> Wife <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/>	
(ड.) आयु (चालू कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी,.....को) (e) Age [as on 1st January of current calendar year.....]	वर्ष <input type="text"/> <input type="text"/> मास <input type="text"/> <input type="text"/> Years Months	
(च)जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष के प्रारूप में)(यदि ज्ञात हो) (f) Date of Birth (in DD/MM/YYYY format)(if known)	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(छ) आवेदक का लिंग (समुचित बाक्स में सही का निशान लगाएँ) (g) Gender of Applicant (Tick appropriate box)	पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग <input type="checkbox"/> Male Female Third Gender	
(ज) वर्तमान पता, जिसका आवेदक मामूली तौर पर निवासी है (h)Current address where applicant is ordinarily resident	गृह सं० House No.	
गली/क्षेत्र/स्थान Street/Area/Locality		
शहर/ग्राम Town/Village		
डाक घर Post Office		पिन कोड Pin Code <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
जिला District	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र State/UT(i)	

(i) आवेदक का स्थाई पता (i) Permanent address of applicant		गृह सं० House No.											
गली/क्षेत्र/स्थान Street/Area/Locality													
शहर/ग्राम Town/Village													
डाक घर Post Office							पिनकोड Pin Code						
जिला District	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र State/UT												
(ज) ईपीआईसी सं. (यदि जारी किया गया है) (j) EPIC No. (if issued)													
वैकल्पिक विशिष्टियाँ Optional Particulars													
(क) निःशक्तता (यदि कोई हो) (समुचित बाक्स पर टिक करें) (k) Disability (if any) (Tick appropriate box)		दृश्य दुर्बलता <input type="checkbox"/>	वाक एवं सुनने की निःशक्तता <input type="checkbox"/>	गति विषयक निःशक्तता <input type="checkbox"/>									
		अन्य	Visual impairment	Speech & hearing disability	Locomotor disability								
(ल) ई-मेल (वैकल्पिक) (l) Email id (optional)													
(म) मोबाईल संख्या (वैकल्पिक) (m) Mobile No. (optional)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
घोषणा : मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार : (i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का ग्राम/शहर ..... जिला ..... राज्य ..... है। (ii) मैं ..... से (तारीख, मास, वर्ष) ऊपर (ज) में दिए गए पते वाले स्थान में ..... से मामूली तौर से निवासी हूँ; (iii) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है; * (iv) इस या किसी अन्य सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है। या * मेरा नाम ..... राज्य के ..... निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए। DECLARATION: I hereby declare that to the best of knowledge and belief – (i) I am a citizen of India and place of my birth is Village/Town ..... District ..... State ..... (ii) I am ordinarily resident at the address given at (h) above since ..... (date, month, year). (iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency. *(iv) My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly/ parliamentary constituency OR *My name may have been included in the electoral roll for ..... Constituency in ..... State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll. जो उचित न हो उस विकल्प को काट दें। * strike off the option not appropriate													
मामूली रूप से निवास का पूर्व पता (यदि अन्य निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरण के कारण आवेदन कर रहे हों) Address of earlier place of ordinary residence (if applying due to shifting from another constituency)													
गृह सं. House No.			गली/क्षेत्र/स्थान Street/Area/Locality										
शहर/ग्राम Town/Village													
डाकघर Post Office							पिन कोड Pin Code						
जिला District	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र State/UT												
मैं इस बात से विज्ञ हूँ कि ऐसा कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है, जिसके प्रति मैं यह जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि वह मिथ्या है या उसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है। I am aware that making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).													
स्थान Place .....													
तारीख Date .....											आवेदक के हस्ताक्षर .....		
												Signature of Applicant	
क्षेत्र स्तरीय सत्यापन आफिसर की टिप्पणियाँ : Remarks of Field Level Verifying Officer:													

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे**  
**Details of action taken**  
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाएगा)  
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्ररूप 6 में आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार किया गया है। स्वीकार करने के [नियम 18/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] या नियम 17/20/26(4) के अधीन अस्वीकार] विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :

The application of Shri / Shrimati/ Kumari .....for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted/ rejected. Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are given below:

स्थान: Place

तारीख : Date

ईआरओ के हस्ताक्षर

ईआरओ की मुहर

Signature of ERO

Seal of the ERO

लिए गए विनिश्चय की संसूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और आवेदक द्वारा दिए गए पते पर आवेदक को डाक से भेजा जाना है)

Intimation of decision taken (to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का प्ररूप 6 में आवेदन  
The application in Form 6 of Shri/Shrimati/Kumari.....

निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण  
प्राधिकारी द्वारा प्रेषण  
के समय डाक टिकट  
चस्पा किए जाने हैं  
Postage Stamp to  
be affixed by the  
Electoral  
Registration  
Authority at the

वर्तमान पता, जिस पर आवेदक मामूली रूप से निवास करता है  
Current address where applicant is ordinarily resident

गृह सं.  
House No.

गली/क्षेत्र/स्थान Street/Area/Locality

शहर/ग्राम Town/Village

डाक घर Post Office

पिनकोड Pin  
Code

जिला District

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र  
State/UT

को (क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को.....  
समा निर्वाचन क्षेत्र ..... के भाग सं. .... के क्रम सं. .... रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।  
Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari.....has been registered at Serial No.....in Part No..... of AC  
No.....

(ख) ..... के कारण से अस्वीकार कर दिया गया है।  
(b) rejected for the reason.....

तारीख: Date:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

Electoral Registration Officer

पता.....

Address.....

**अभिस्वीकृति/रसीद**  
**Acknowledgement/Receipt**

अभिस्वीकृति सं. \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

Acknowledgement Number \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ है

[आवेदक आवेदन की स्थिति की अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट करते हुए जांच कर सकता है] ।

Received the application in form 6 of Shri / Smt. / Ms. \_\_\_\_\_

[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application].

ईआरओ/ईआरओ/बीएलओ का नाम/हस्ताक्षर

Name/Signature of ERO/AERO/BLO

दूरभाष नं० लै०	उत्तरकाशी-	चमोली-	रूद्रप्रयाग-	टिहरी गढ़वाल-	देहरादून-	हरिद्वार-	पौड़ी-गढ़वाल
	01374-222177 01374-1950	01372-252139 01372-1950	01364-233352 01364-1950	01376-232164 01376-1950	0135.2624216 0135-1950	01334.239942 01334.1950	01368-222217 01368-1950
लाईन/ टोल फ्री-	पिथौरागढ़ 05964-225236 05964-1950	बागेश्वर 05963-220380 05963-1950	अल्मोड़ा 05962-230010 05962-1950	चम्पावत 05965-230296 05965-1950	नैनीताल 05942-235284 05942-1950	उधमसिंहनगर 05944-246787 05944-1950	

**आवेदन प्ररूप-6 भरने के लिए दिशा-निर्देश**

**GUIDELINES FOR FITTING UP THE APPLICATION**

**प्ररूप-6  
FORM-6**

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें वे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाली स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।

1. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which he seeks registration. The name of the constituency should be mentioned in the blank space given for the purpose.

2. पहली बार के मतदाता के रूप में या दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र से स्थानांतरित होने की वजह से आवेदन करने वाले आवेदन को उपयुक्त बॉक्स में सही का निशान लगाना चाहिए और घोषणा वाले भाग में पूर्ण विवरण भरना चाहिए अन्यथा, आवेदन प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकृत किया जा सकता है।

2-The applicant applying as a first time voter or due to shifting from another constituency, should tick the appropriate box, given for the purpose and **fill the complete details in the DECLARATION portion, otherwise, the application is liable to be rejected at the initial stage itself.**

3. मद (क) से (ज) में विवरण दिए जाने वाले खाने अनिवार्य हैं और इसलिए, उपयुक्त मद के प्रति पूर्ण सूचना अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।

3. Fields for providing particulars in items (a) to (j) are mandatory and therefore complete information should mandatorily be given against the appropriate item.

4. मद (क) और (ख) : ठीक-ठीक नाम और वर्तनी, जो निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) में प्रकट होनी चाहिए, उपलब्ध करायी जानी चाहिए। पूरा नाम पहले बॉक्स में लिखा जाना चाहिए और उपनाम दूसरे बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो उपनाम के बॉक्स को खाली छोड़ देना चाहिए। जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए सिवाय ऐसे मामले के जिसमें जाति के नाम का निर्वाचक के नाम या उपनाम के भाग के रूप में उल्लेख किया गया हो। पदवियों जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक अपने नाम का यदि संभव हो तो, अंग्रेजी और राज्य की राजभाषा दोनों में उल्लेख कर सकते हैं।

4- Item (a) and (b) : The exact name and spelling as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. The full name should be written in the first box and surname should be written in the second box. In case the applicant does not have a surname, then box for surname should be left blank. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector's name or a surname. Appellations like Shri, Smt. Kumari, Khan, Begum, Pandit etc. should not be mentioned. The Applicant may mention his name in English and official language of the State both, if possible.

5. मद (ग) और (घ) (नातेदार का नाम): अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाना है। विवाहित महिला आवेदक के मामले में पति के नाम अधिमानतः उल्लेख किया जाना चाहिए। इस स्तंभ से अप्रयोज्य विकल्पों को काट दें।

5. Item (c) and (d) (Relation's Name): In case of an unmarried female applicant, name of Father / Mother is to be mentioned. In case of a married female applicant, name of Husband should preferably be mentioned. Strike out the inapplicable options in the column.

6. मद (ड.) और (च) (आयु एवं जन्मतिथि): जिस वर्ष के संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है उसकी जनवरी की पहली तारीख को आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। जन्म तिथि को दिए गए स्थान में दिनांक/महीना/वर्ष के रूप में अंकों में भरें। यदि आवेदक की आयु 18 और 21 वर्ष के बीच है तो जन्मतिथि का एक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए। जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जा सकती है:- नगर पालिका प्राधिकारियों या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र या बपतिस्मा प्रमाण-पत्र, या आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए पिछले विद्यालय (सरकारी/मान्यता-प्राप्त) से या कोई अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण-पत्र या यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे कक्षा 10 के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप जन्मतिथि दी गई हो, या कक्षा 8 का अंकपत्र बशर्ते उसमें जन्मतिथि दी गई हो, या कक्षा 5 का अंकपत्र बशर्ते उसमें जन्मतिथि दी गई हो, या भारतीय पासपोर्ट, या पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या यूआईडीएआई द्वारा निर्गत आधार पत्र/कार्ड।

6. Item (e) and (f) (Age and Date of Birth): The age of the applicant should be 18 years or more on 1st day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. Fill up the Date of Birth in figures in the space provided in **DD/MM/YYYY**. If the age of the applicant is between 18 and 21 years, a documentary proof of Date of Birth should be attached. A copy of any one of the following documents can be attached as a proof of Date of Birth:- Birth certificate issued by a Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate ; or Birth certificate from the school (Govt. / Recognized) last attended by the applicant or any other recognized educational institution; or if a person is class 10 or more pass, he should give a copy of the mark sheet of class 10, if it contains date of birth as a proof of date of birth; or Mark sheet of class 8 if it contains date of birth; or Mark sheet of class 5 if it contains date of birth; or Indian Passport; or PAN card; or Driving License; or Aadhar letter/Card issued by UIDAI.

6.1- यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो अनुबंध 11 (दिशा निर्देशों के साथ संलग्न) में दिए गए विहित फार्मेट में या तो आवेदक के माता-पिता के द्वारा (या थर्ड जेंजर श्रेणी में निर्वाचक की दशा में गुरु के द्वारा) एक घोषणा दी जा सकती है। जिन मामलों में आयु के प्रमाण स्वरूप माता-पिता की घोषणा दी जा सकती है, उनमें आवेदक को सत्यापन के लिए अपने आपको बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा, यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो और माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं हों तो आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा या संबंधित नगर निगम/नगरपालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया अपनी आयु का प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं।

6.1. In case none of the above document is available, a declaration in prescribed format given in Annexure II (enclosed with the guidelines) made by either of the parents of the applicant (or by guru in case of an elector in third gender category) can be given. In

those cases where parental declaration is given as proof of age, the applicant will have to be present himself for verification before Booth Level Officer /Assistant Electoral Registration Officer / Electoral Registration Officer. Further, if none of the above documents is available and neither of the parents is alive, the applicant can attach a certificate of his age given by a sarpanch of the concerned Gram Panchayat or by a member of the concerned Municipal Corporation /Municipal Committee.

6.2- ऐसे मामलों में जिनमें आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का हो और बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उतनी आयु का प्रतीत होता हो तो उसके द्वारा आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जायेगी और कोई भी दस्तावेजी सबूत पर जोर नहीं डाला जाएगा। आयु अर्हक तिथि यानि उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख की स्थिति के अनुसार वर्षों और पूरे हो चुके महीनों में इंगित की जानी चाहिए जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण किया जा रहा है/या किया गया है।

6.2. In cases where the applicant is more than 21 years and physically appears to be so to Booth Level Officer/Assistant Electoral Registration Officer/ Electoral Registration Officer, declaration of age by him / her will be taken as proof of age and no documentary proof will be insisted on. The age should be indicated in years and completed months as on the qualifying date i.e. 1st January, of the year with reference to which electoral roll is being revised /or has been revised.

6.3- यदि आवेदक नए पंजीकरण के लिए पहली बार आवेदन कर रहा है और वह वर्ष की अर्हक तिथि को 21 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो अनुबन्ध III के अनुसार फार्मेट में एक घोषणा दी जानी है अन्यथा, उसका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

6.3 If the Applicant is applying for fresh registration for the /first time and he is above 21 years of age on the qualifying date of the year and his name is not included in the electoral roll anywhere in India, then a declaration has to be given in the format as per annexure III otherwise his application is liable to be rejected.

7- मद (छ)(लिंग): 'पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर के लिए दिए गए उपयुक्त बॉक्स में लिंग पर सही का निशान सुस्पष्ट रूप में लगाया जाना चाहिए।

7. Item (g) (Gender): Gender in the appropriate box provided for 'Male' / 'Female'/'Third Gender' should clearly be tick marked.

8- मद (ज) (वर्तमान साधारण निवास का स्थान): आवेदक को, वे वर्तमान में जहां साधारण रूप से निवास कर रहे हैं और जिसे पंजीकृत करवाना चाहते हैं और जिसे पंजीकृत करवाना चाहते हैं उसका पिन कोड सहित पूर्ण डाक पता, केवल प्रविष्टि विशेष के लिए दिए गए उपयुक्त स्थान में भरना चाहिए।

8-Item (h) (Place of Current Ordinary Residence): The Applicant should fill up the full and complete postal address including PIN code where he is ordinarily residing at present and wants to get registered, only in the appropriate space provided for the particular entry.

(I) मकान नं: यदि आवेदक के निवास में मकान नंबर नहीं हो तो 'मकान नंबर' के निमित्त दिए गए स्थान में इस बात का सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि 'कोई भी मकान नंबर निर्दिष्ट नहीं किया गया है।'

(I) House No.: If the residence of the applicant does not have house number, in the space meant for 'House Number' it should be clearly mentioned that 'No House Number has been assigned'.

(II) साधारण निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति संलग्न की जानी चाहिए:- बैंक/किसान/डाकघर का चालू पासबुक, या राशन कार्ड, या पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, या आयकर निर्धारण आदेश, या नवीनतम किराया करार, या उस पते के लिए या तो आवेदक के नाम में या उसके निकटतम नातेदार जैसे माता-पिता आदि के नाम में पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल, या आवेदक के नाम में साधारण निवास के पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से डेलीवर की गई कोई डाक/पत्र/मेल।

(II) A copy of any of the following documents should be attached as a proof of ordinary residence: Bank / Kisan / Post Office current Pass Book; or Ration Card; or Passport; or Driving License; or Income Tax Assessment Order; or Latest rent agreement; or Latest Water / Telephone /Electricity/ Gas Connection Bill for that address, either in the name of the applicant or that of his / her immediate relation like parents etc.; or Any post /letter / mail delivered through Indian Postal Debarment in the applicant's name at the address of ordinary residence

(III) बेघर भारतीय नागरिक/यौन कर्मी भारतीय नागरिक:- शेड/फुटपाथ पर रहने वाले बेघर भारतीय नागरिक और यौन कर्मी भारतीय नागरिक जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्र है बशर्ते वे दिए गये पते पर साधारण रूप से निवास कर रहे हों।

(III) Homeless Indian Citizens/Sex Workers Indian Citizens: - Homeless Indian Citizens living in sheds/pavement dwellers and Sex Workers Indian Citizens, who do not possess any documentary proof of ordinary residence are eligible for enrolment in electoral roll, provided they are ordinarily residing at the given address.

(IV) विद्यार्थी:- होस्टल या मेस या लॉज में कमोबेश लगातार रहने वाले, अपने सामान्य घर या निवास के स्थान में केवल अल्प अवधियों के लिए जाने वाले विद्यार्थी, यदि वे अन्यथा पात्र हों, ऐसे स्थान के साधारण रूप में निवासी होने के रूप में अभिनिर्धारित किए जा सकते हैं जहां होस्टल या मेस अवस्थित है। ऐसे विद्यार्थियों को जो अपने आपको होस्टल/मेस में पंजीकृत करवाना चाहते हैं प्ररूप 6 के साथ प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार/शैक्षणिक संस्थाओं के डीन द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित यथार्थ घोषणा (अनुबन्ध IV के रूप दिए गए नमूने के अनुसार) संलग्न करनी होगी।

(IV) Students: Students, if otherwise eligible, living in a hostel or mess or lodge more or less continuously, going back to their normal home or place of residence only for short periods, can be held to be ordinarily resident in the place where the hostel or mess or lodge is situated. Such students who want to enrol themselves at the hostel / mess will have to attach a bonafide declaration duly certified by the Headmaster / Principal / Director / Registrar / Dean of the educational institution with Form 6 (as per the specimen as Annexure IV).

9. फोटोग्रॉफ: विनिर्देशन (3.5 सेमी×3.5 सेमी के साथ 200 डीपीआई रिजॉल्यूशन) का हाल का पासपोर्ट साइज कलर फोटो प्ररूप में इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में चिपकाया जाना चाहिए। फोटो का निर्वाचक नामावली में आवेदक की छवि को मुद्रित करने और एपिक जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फोटो में आवेदक के सिर और कंधों के उपरी भाग का क्लोज-अप दर्शाया जाएगा। चेहरा चित्र के उर्ध्वार्ध आय5 कवह 75% को लेगा। फोटो शार्प फोकस में होना चाहिए, समुचित चमक एवं वैषम्य के साथ सिकुड़न एवं स्याही के निशान से मुक्त

उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और निर्वाचक के चेहरे की प्राकृतिक त्वचीय रंगत दिखनी चाहिए और विशिष्टताएं सुस्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य होनी चाहिए। यह सहज अभिव्यक्ति एवं बंद मुख के साथ निर्वाचक को सीधे कैमरा देखते दिखाएगी। फोटोग्राफ निर्वाचक को खुली आंखों में और आंखों को ढंकने वाले किसी भी केश/टोपी/टोप/पगड़ी/आवरण/छाया/ प्रतिबिंब आदि के बगैर दिखाएगा। यदि निर्वाचक चश्मा पहनता है तो फोटोग्राफ को आंखें चश्मों में प्रतिबिंबित कोई भी रोशनी के बगैर सुस्पष्ट रूप में दर्शानी चाहिए। चश्मों में रंजित लेंस नहीं होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चश्मों के फ्रेम निर्वाचक की आंखें के किसी भी हिस्से को नहीं कवर करें। फोटोग्राफ की समतल, हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए और निर्वाचक के साथ और कोई व्यक्ति या वस्तु-दृश्यमान नहीं होनी चाहिए।

**9. Photograph:** A recent passport size Colour Photograph of specification (200 DPI resolution with 3.5c.m x3.5 c.m ) should be pasted in the space provided for this purpose in the Form. The Photograph will be used to print applicant's image in the electoral roll and issue of EPIC. The photograph shall show a close-up of the applicant's head and the top of the shoulders. The face shall take 75% of the vertical dimension of the picture. The photograph shall be in sharp focus, of high quality with no creases and ink marks with appropriate brightness and contrast and showing natural skin tones of the elector's face and features clearly recognisable. It shall show the elector looking directly at the camera with a neutral expression and the mouth closed. The photograph shall be showing the elector with the eyes open and clearly visible with no hair/cap/hat/headgear/veil/cover/shadow/reflection etc. obscuring the eyes. If the elector wears glasses, the photograph must show the eyes clearly with no lights reflected in the glasses. The glasses should not have tinted lenses and it shall be ensured that the frames of the glasses do not cover any part of the eyes of the elector. The photograph must have a plain, light coloured background and there must be no other people or object visible with the elector.

#### 10. एपिक:

1— जब कभी भी किसी भी भारतीय नागरिक का नाम निर्वाचक नामावलियों में पहली बार शामिल किया जाता है, नया एपिक बिना किसी पृथक आवेदन के स्वमेव जारी कर दिया जाएगा और उसे उचित पावती के अधीन स्पीड पोस्ट के माध्यम से निःशुल्क डेलीवर कर दिया जाएगा।

#### 10. EPIC:

1. Whenever name of any Indian Citizen is included in the electoral rolls for the first time, new EPIC will automatically be issued without any separate application and delivered to him free of cost, through speed post under proper acknowledgement.

2— स्थान परिवर्तित होने पर प्रतिस्थापन एपिक: यदि आवेदक ने अपना पता परिवर्तित कर लिया है और ऐसे परिवर्तन पर प्ररूप 6 या प्ररूप 8क में आवेदन कर रहा है तो एपिक नं., यदि उसे पूर्ववर्ती निर्वाचन-क्षेत्र/पते पर पहले ही जारी किया गया है, का उपयुक्त स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि वह प्रतिस्थापन एपिक नए पते पर चाहता है तो उसे उसके लिए प्ररूप 6 या प्ररूप 8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण के बाद प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, एवं पुराने एपिक के साथ, प्ररूप एपिक-001 (अनुबंध V के में रूप दिए गए फार्मेट के अनुसार) में आवेदन करना चाहिए।

**2. Replacement EPIC on shifting:** If the Applicant has shifted his address and applying in Form 6 or Form 8A on such shifting, EPIC No., if already issued to him in the earlier constituency/ address, it should be mentioned at appropriate place. If he wants replacement EPIC with new address, he should apply for the same in Form EPIC-001 ((as per the format as Annexure V), with requisite fee for replacement EPIC, and old EPIC, after enrolment at the new place on the basis of Form 6 or Form 8A.

#### 11. वैकल्पिक विवरण

मद (ट) और (ड) में विवरण दिए जाने वाले खाने वैकल्पिक है, हालांकि, यह आवेदक के हित में है 6 कवह इन मदों में सूचना उपलब्ध कराए ताकि निर्वाचन प्राधिकारीगण नागरिक सेवाएं जैसे आवेदन प्ररूप, निर्वाचकों को एपिक भेजे जाने वाली सूचना/नोटिसों को जारी करने और निर्वाचनों के दौरान मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सहायता प्रदान करने, में सक्षम हो सकें।

#### 11. Optional Particulars

**Fields for providing details in item (k) to (m) are optional;** however, it is in interest of the applicant to supply information in these items to enable election authorities to extend citizen services like intimation about status of process of application form, issue of EPIC sending information/notices to electors and providing necessary assistance at polling station during elections.

#### 12—“घोषणा”

(1). “घोषणा” भाग में सभी प्रविष्टियां सभी दृष्टियों से अनिवार्य रूप से पूरी की जानी चाहिए। कृपया वह तारीख निर्दिष्ट करें जब से आवेदक वर्तमान में दिए गए पते पर निवास कर रहा है। यदि उसे तारीख याद न हो तो उस महीने एवं वर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए जब से वह उस स्थान पर निवास कर रहे हैं। यदि उसका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पहले से शामिल है तो उस पूर्ववर्ती निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। उसके पिछले पते का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए अन्यथा, उसका आवेदन प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकृत किया जा सकता है। वे विकल्प जो सुसंगत नहीं हैं साफ-साथ रूप में काट दिए जाने चाहिए। कृपया नोट करें कि घोषणा अंश में कोई भी गलत कथन देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

#### 12-Declaration:-

(1) All entries in "DECLARATION" portion must compulsorily be completed in all respects. Please indicate date from which the Applicant is presently residing at the given address. If he is not able to recall the exact date, the month and year from which he is residing at that place should be mentioned. If his name is already included in the electoral roll of any other constituency, name of earlier constituency should be mentioned. Also, full particulars of his previous address should be provided, otherwise his application is liable to be rejected at the initial stage itself. The options which are not relevant should clearly be struck off. Please note that giving any false statement made in the DECLARATION portion is punishable offence under Section 31 of the Representation of People Act, 1950.

(2) सेवा कार्मिक को, जो शांति स्थल (पीस स्टेशन) में तैनाती के अपने स्थान पर निर्वाचक नामावली में सामान्य निर्वाचक के रूप में पंजीकरण कके लिए आवेदन कर रहा है, तो उसके प्ररूप-6 के साथ एक घोषणा (अनुबन्ध-I में) प्रस्तुत करनी है।

2- Service personnel, applying for enrolment as general elector in the electoral roll at his place of posting at a peace station, has to submit a declaration (Annexure-I) along with Form-6.

\*\*\*\*\*

**सेवा कार्मिक द्वारा घोषणा**  
(प्ररूप-6 के साथ संलग्न किए जाने के लिए)

अपनी तैनाती के स्थान की निर्वाचक नामावली के भाग में साधारण निर्वाचक के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए मैं,..... (बड़े अक्षरों में नाम) रिकार्ड कार्यालय/कमांडेंट द्वारा इस आशय का जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ कि मैं .....(तारीख) से शान्ति स्थल (पीस स्टेशन), नामतः.....में तैनात हुआ/हुई हूँ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में अपने आपको न तो पहले से पंजीकृत करवाया हुआ है और न ही किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली के अंतिम भाग में सेवा निर्वाचक के रूप में इस प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस विधि से अवगत हूँ जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करवाने को निषिद्ध करता है और यदि मेरा नाम भिन्न-भिन्न स्थानों पर इस तरह प्रकट होता है तो उन्हें वर्तमान स्थान, जिसके लिए प्ररूप-6 प्रस्तुत किया गया है, के सिवाय ऐसे सभी स्थानों से विलोपित कर दिया जाए।

सेवा कार्मिक के हस्ताक्षर

रैंक.....

स्थान.....

तारीख:.....

**ANNEXURE - I (For Form.6)**

**DECLARATION BY SERVICE PERSONNEL**

(TO BE ATTACHED WITH THE FORM-6)

For getting myself registered as general elector in the part of the electoral roll of my place of posting, I, .....(NAME IN BLOCK LETTERS) am enclosing a certificate issued by Record Office/Commandant to the effect that I have been posted at the peace station, namely, at .....(place) since.....(Date).

I, hereby, declare that I have neither got myself already registered as service elector in the last part of electoral roll for any constituency nor have applied for such registration as service elector in the last part of the electoral roll of any constituency.

I, further, declare that I am aware of the law that prohibits getting registered as an elector at more than one place either in the same constituency or in different constituencies and if my name so appears at different places, the same may be deleted from all such places except from the present place for which Form 6 has been presented.

SIGNATURE OF THE SERVICE PERSONNEL

RANK.....

Place.....

Date.....

अनुबन्ध-II (प्ररूप-6 के लिए)

## शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18-21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक,  
जिनके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरु द्वारा  
लिया जाए/किया जाए)

मैं,..... जिसका नाम .....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या.....में क्रम संख्या.....में पंजीकृत है, ईश्वर के नाम से शपथ  
लेता/लेती हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य दिनांक.....  
01 जनवरी,20..... की स्थिति के अनुसार .....वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थान:-

तारीख:-

माता/पिता/गुरु के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती.....द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20.....के .....दिवस को ..... (बजे) .....  
.....(स्थान) पर ईश्वर के नाम से शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

## ANNEXURE -II (For Form-6)

### FORM OF OATH OR AFFIRMATION

(To be made by either of the parents/Guru of the first time applicant  
in the age group of 18-21 years who has no age proof)

I, ..... Whose name is enrolled at the  
Serial No. .... in the Part No. .... of electoral roll of  
the..... ..Assembly Constituency do swear in the name of the  
God / solemnly affirm that my son /daughter/chela ..... is  
.....years of age as on 1st January, 20... and is residing with me.

Place:

Date:

Signature of the parents /Guru

sworn in the name of God/solemnly affirmed by  
Shri/Shrimati..... at.....(Place) at.....  
(hour) this the..... day of.....20... before me.

Signature of Electoral Registration Officer /  
Assistant Electoral Registration Officer with Seal



अनुबन्ध-III (प्ररूप-6 के लिए)

**घोषणा\***

(पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले 21+ आयु-समूह के निर्वाचक के लिए)

मैं,..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....निवासी.....

.....निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

मैंने.....निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है क्योंकि मेरा नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है।

2- मुझे विगत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी समय कोई भी निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी नहीं किया गया है।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

\* (निर्वाचक नामावली को तैयार/पुनरीक्षित करने से संबंधित मामलों में मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 31 तथा भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन एक दण्डनीय अपराध है)

**ANNEXURE.III**

(For Form-6)

**DECLARATION\***

(For an elector of 21+ age group seeking fresh registration for the first time)

I..... Son/Daughter/Wife of .....

R/o.....

....., declare as under: -

I have applied for registration in the electoral roll of ..... constituency, as my name does not figure in electoral roll anywhere in India.

2. I have not been issued any EPIC at any time in the past in any constituency.

place:

Date:

Signature of the Applicant

\*(Making false declaration in matters related to preparation/ revision of electoral roll is an offence punishable under section 31 of the Representation of the People Act, 1951, and also under the provisions of the Indian Penal Code)

**अनुबन्ध-IV (प्ररूप-6 के लिए)**  
**छात्रावासों/मेस/अन्यत्र रह रहे छात्रों द्वारा घोषणा**

(प्ररूप 6 के साथ संलग्न किया जाए)

इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए हाल का पासपोर्ट आकार का नवीतम रंगीन फोटो (3.5 CM X 3.5 CM) चिपकाने के लिए स्थान

मैं..... (बड़े अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती.....(पैतृक स्थान का पता).....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैं.....(संस्थान का नाम) का वास्तविक छात्र हूँ और..... (पाठ्यक्रम का नाम) में (वर्ष) .....(माह).....से.....(वर्ष) .....(माह) तक .....की पढ़ाई कर रहा हूँ।

(ख) मैं वर्तमान में-

i)..... (यदि छात्रावास/मेस में रह रहे हैं तो छात्रावास/मेस का कमरा संख्या/ब्लॉक संख्या/ब्लॉक नाम, आदि का उल्लेख करें।

या

\*ii)..... (यदि छात्रावास/मेस के बाहर अन्यत्र रह रहे हैं तो छात्रावास/मेस के बाहर निवास स्थान का पूरा डाक पता लिखें) पर रह रहा हूँ।

(ग) \*मैं अपने माता पिता/अभिभावक के साथ अपने उपर्युक्त निवास पते पर अपने पैतृक स्थान की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहता हूँ/अपने पंजीकरण को बनाए रखना चाहता हूँ।

या

\* मैं वर्तमान निवास के निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहता हूँ।

(II) मैं इस बात से अवगत हूँ कि निर्वाचन विधि के अधीन एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में यहा किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण करवाने की अनुमति नहीं है और मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 31 के दंडिक उपबंधों से भी अवगत हूँ जो इस प्रकार है:-

“यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी,पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा”

स्थान  
दिनांक

(छात्र के हस्ताक्षर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त (क) पर घोषणा में दी गई सूचना और फोटो का सत्यापन संस्थान के रिकॉर्डों से कर लिया गया है तथा सही पाया गया है।

स्थान: प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/डीन के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख

ANNEXURE IV(For Form-6)  
**DECLARATION BY STUDENTS LIVING IN HOSTELS/MESSES  
 /ELSEWHERE**  
 (TO BE ATTACHED WITH FORM 6)

SPACE	FOR
PASTING	ONE
RECENT	PASSPORT
SIZE	COLOUR
PHOTOGRAPH	(3.5
CM X	3.5 CM)
SHOWING	FRONTAL
VIEW OF	FULL FACE
WITHIN	THIS BOX

I, .....(NAME IN BLOCK LETTERS), : son/daughter of  
 .....address of native place), hereby declare that:-

(a) I am a bonifide student of .....( name Of the institution) and pursuing .....(details of the course) from..... (month).....(year) to.....(month) .....(year)

(b) I am presently residing at -  
 (i) ..... (if residing in hostel/mess, mention Room hostel/mess). No./ Block No./ Block Name, etc. of the hostel/mess).

OR

(ii)..... (if residing elsewhere outside the hostel/mess, mention complete postal address of the place of stay outside the hostel/mess).

OR

(c) \* I want to be registered in the electoral roll/retain my registration in the electoral roll Of my native place at my above-mentioned residential address with my parents/guardian.

OR

\*I want to be registered in the electoral roll of the constituency where I am presently residing .

II. I am aware that registration in the electoral roll of more than one constituency or more than once in a constituency is not permitted under the election law and am also aware of the penal provisions of sec. 31 of the R.P. Act,1950, which reads as follows:-

" If any person makes in connection with (a) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or (b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll, a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

Place -  
 Date

(signature of the student)

It is certified that the information given in the declaration at (a) above and the photograph have been verified from the records of the institution and are found to be correct.

Place:

Date:

Signature and seal Of the

Head Master/Princinal/Registrar/Director/Dean



